

47

वरिय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा...

सचिका संख्या-7/पि.-3-02/06 अर.
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

08 AUG 2014
08/08/14

DEO/CEO NIG
DRO/DMO NIG
5/1/2014

महाजन
उप-निदेशक
शिक्षा विभाग

शिक्षा पदाधिकारी
उप-निदेशक

राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में वर्ष 2006, वर्ष 2008-10 एवं वर्ष 2012 के नियोजन के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों तथा 34540 कोटि के नि्युक्त शिक्षकों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच एक निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के संबंध में।

महाजन,
उप-निदेशक
विषय के संबंध में कहना है कि विनयीय पत्रक 1073 दिनांक 17.03.2008 एवं पत्रक 1266 दिनांक 4.10.2010 के द्वारा नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच करने के संबंध में कतिपय निदेश दिए गये हैं। इसके अलावे 34540 कोटि में नियुक्त शिक्षकों के नौ प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जानी थी। किन्तु राज्य स्तरीय बैठकों में भी पूर्व में इसकी समीक्षा की गई थी और जिलों को निदेश दिया गया था कि प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्य शीघ्र पूरा करा लें। किन्तु विभिन्न श्रोतों से प्राप्त जानकारी एवं जिलों के साथ समीक्षा के क्रम में यह प्रकट हो रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या में निदेशित/नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच कराया जाना बाकी है। कतिपय न्यायालय पत्रों में यह भी प्रकटित हुआ है कि राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में नौ प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों नियोजित होकर काम कर रहे हैं।

उप-निदेशक के आलोक में यह निदेश दिया जाता है कि जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच अभी भी नहीं कराई गयी है उनके प्रमाण पत्रों की जाँच आगामी तीन माह के अंदर पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। सन् ही पूर्व में जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच करायी गयी है और जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्ज गए थे उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई यदि नहीं किया गया हो तो उसे नौ दिनों के अंदर पूर्ण किया जाए। शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच के संबंध में संलग्न विहित प्रपत्र में एच नवाह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध करावे। साथ ही तीन माह के अंदर सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच के संबंध में एक समेकित प्रतिवेदन (सी.डी. में सॉफ्ट कॉपी सहित) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

महाजन
80/-
(वर. के. महाजन)

आजाक-7/दि. 02/2006 अश "क" - 1052 / पत्रक दिनांक-08/08/14
प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्ष उप-निदेशक/प्रधान शिक्षा के प्रधान अन्तर्गत विभागीय प्रथमिक शिक्षा को आवश्यक कार्याध्य सुनिश्चित देवित।

Routable
Susham
08/08/14

12/08/14
2/8/14

2-8/08/14
प्रधान सचिव

समाहरणालय, मधेपुरा

जिला विकास शाखा

पत्रांक...../वि०

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विकास शाखा
मधेपुरा।

सेवा मे,

आरक्षी अधीक्षक, मधेपुरा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला मधेपुरा।
कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
शिक्षा विभाग, मधेपुरा।

✓ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा।

मधेपुरा दिनांक 04/09/2014

विषय:- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2006 वर्ष 2008-10 एवं 2012 के नियोजन के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों तथा 34500 कोटि के नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक /प्र० शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की जाँच एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुरा करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र पर जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकित आदेश के आलोक में पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने की कृपा की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु सरकार से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन

secy

प्रभारी पदाधिकारी

जिला विकास शाखा
मधेपुरा।

पत्रांक -- 294 / वि० मधेपुरा दिनांक - 04/09/2014
प्रतिमात्रिका - जिलाधिकारी मधेपुरा को धारा 4 के अन्तर्गत धर्मपत्र।

secy

प्रभारी पदाधिकारी

जिला विकास शाखा

मधेपुरा